1. गोविन्द सदा शिव घुर्ये :—

घुर्ये का जन्म 12 दिसम्बर 1893 को महाराष्ट्र के मालवन नामक स्थान पर हुआ था।

मृत्यु – 28 दिसम्बर 1983

पुस्तक – आई एण्ड अदर एक्सप्लोरेशन

घुर्ये का प्रारंभिक जीवन :—

घुर्ये का जन्म महाराष्ट्र के एक गांव मालवन में हुआ था। जाति से वे सारस्वत ब्रह्मण थे। उनके परिवार में संस्कृत तथा ग्रंथों का पठन-पाठन बहुत अधिक था। उन्होंने अपने सम्पूर्ण जीवन का लेखा जोखा अपनी पुस्तक "आई एण्ड अदर एक्सप्लोरेशन" में लिखा। घुर्ये का विवाह मालवन गांव के पड़ोसी गांव की लड़की 'सुभा बाई' के साथ 1916 में हुआ। M.A की डिग्री उन्होंने संस्कृत भाषा में प्राप्त की थी ना की मानवशास्त्र या समाजशास्त्र में प्राप्त की थी। मोम्बई मुम्बई विश्व विद्यालय में उन्होंने 'पैट्रीक गिड्स' के व्याख्यानों को सुना था वे उससे बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया।

* गोविन्द सदा शिव घुरिये को भारतीय समाज-शास्त्र का जनक कहा जाता है।

Scanned with CamScanner

ये उन्होंने ही भारतीय समाजशास्त्र को एक नयी गतिशीलता की ओर लेकर आगे बढ़ाया। यहां तक कहा जाता है कि घुर्ये ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में जितना कार्य किया है उतना किसी ने नहीं किया। घुर्ये के कारण ही मुम्बई में विश्वविद्यालय में 1919 में प्रारंभ में हुई और समाजशास्त्र विषय को प्रारंभ करने के लिए इन्होंने पैट्रिस गिडस् को आमंत्रित किया था। 1924 को घुर्ये ने मुम्बई विश्वविद्यालय में कार्य करते हुए समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष (H.O.D) का पद ग्रहण किया था इन्होंने 50 वर्ष की अवधि में उन्होंने लगभग 71 विद्यार्थियों के शोध का निर्देशन किया जिनमें से लगभग 40 पुस्तक प्रकाशित हो चुके है।

जाति एवं नातेदारी caste and kinship

व्याकरण के अनुसार जाति शब्द जन्मीमद जनि प्रादुर्भाव धातु से बना है जन्म, जननी, जनक आदि इसी धातु के द्वारा निर्मित हुए है। अस्तु जाति का शब्द जन्म से निश्चित ही किसी न किसी रूप में है एक दूसरे अर्थ में भी जाति की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। 'समान प्रसवात्मिका' जाति' इसका तात्पर्य है जहाँ कहीं भी समान प्रसव हो वहाँ जाति शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे- मनुष्य, मनुष्य को जन्म देता है, और पशु, पशु को इस तरह दोनों की जाति भिन्न है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अमुकनस्तु की अमुक जाति है। नस्ल में अनेक जातियाँ है। उनको स्पष्ट करने में यह असमर्थ है। सामान्यता विद्वान इस सबंध में तर्क उपस्थित करते है कि आरंभ में मूल ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य एवं शुद्ध जाति शब्द के द्वारा संबोधित किये जाते है। किन्तु इसका विकास कालान्तर में अवश्य इस रूप में विकसित हुआ कि जो इसमें जन्मा वही उसकी जाति हो गई।

इन्हीं के आधार पर सामाजिक व जातिगत नियमों का निर्माण किया गया। उपयुक्त विचारधारा संकुचित एवं सिमित अर्थ को व्यक्त करती है। भारत की सारी जातियाँ इस विवेचना के आधार पर व्यक्त नहीं की जा सकती है। यह केवल आंशिक रूप से सत्य हो सकती है

पर सर्वव्यापी रूप में भारतीय जाति की अवधारणा को को संगत आधार नहीं दिखाई पड़ता है। इसके पीछे न कोई वैज्ञानिक तर्क है और न कोई विश्लेषण दिखाई पड़ता है। अन्तु अन्य जाति की परिभाषाओं की तरह यह जाति की अवधारणा भी अस्पष्ट और अधूरी है। इस दृष्टी से G.S घुर्ये की जाति संबंधी अवधारणा उचित प्रतीत होती है कि जाति की विशेषताओं के आधार पे व्याख्या की जा सकती है।

G.S. घुरिये की जाति व्यवस्था की विशेषता:-

घुरिये ने हिन्दु समाज की जाति व्यवस्था की निम्न छः विशेषताएँ बताई है जिनसे इस समाज की जाति व्यवस्था को पहचाना जा सकता है।

1. **समाज का खंडात्मक विभाजन** :— जातिय समाज में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसकी संपत्ति पर नहीं बल्कि यह उसकी जाति पर निर्भर करती है जिसमें उनका जन्म हुआ है। भारत में संपत्ति के आधार पर व्यक्ति का वर्ग निर्धारित नहीं होता जैसा कि यूरोप में है।
जाति व्यवस्था ने समाज को खण्डों में विभाजित किया है। समुदायों में विभाजित किया है। एक जाति का अपनी जाति समुदाय की भावना के प्रति निष्ठा होती है। अधिकांश जातियाँ आज भी ब्रह्मण

और क्षत्रीय को श्रेष्ठ मानती है जातियों पर नियंत्रण जाति पंचायत करती है। एक जाति के व्यक्ति अपनी जाति व अपनी ही उपजाति में खाना - पीना और व्यवहार तक सिमित रखते है। जाति पंचायत के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति

2. संस्तरण :— जाति व्यवस्था में विभिन्न जातियों को समाज में ऊंची और नीची स्थिति प्राप्त है इस स्थिति को संस्तरण कहा जाता है। इस स्थितियों के अनुसार ही विभिन्न जातियों को सम्मान प्राप्त होता है। घुर्ये ने जाति संस्तरण को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। भारत में सभी स्थानों पर ब्रह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। किन्तु दक्षिण भारत के शिल्पकार निरंतर प्रयास करते है कि उनकी सम्मानपन स्थिति ब्रह्मणों से निम्न स्थान पर न हो।

3. खान-पान और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध :— भोजन तथा जाति व्यवस्था में जातियों के परस्पर भोजन एवं व्यवहार से संबंधित अनेक नियम पाये जाते है। प्रत्येक जाति में ऐसे नियम है कि उसके सदस्य किसी अन्य जाति के यहा कच्चा, पक्का तथा फलहारी भोजन कर सकते है। उनके हाथ का बना भोजन एवं पानी पी सकते है। या फिर किसी के घर धातु या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कर सकते है। इस तरह के

Scanned with CamScanner

प्रतिबंधित नियम बने होते है। जैसे - ब्राह्मणों के हाथ का बना पक्का या कच्चा, पताना सभी जातियों के लोग ग्रहण कर लेते है किन्तु शूद्रों के हाथों का बना किसी भी प्रकार का भोजन उच्च जाति के लोग स्वीकार नहीं करते है। सामान्यतः देखा जाता है कभी-कभी निम्न जातियों के लोगों द्वारा कच्चा भोजन या पक्का भोजन उच्च जाति के लोग ग्रहण नहीं करते है किन्तु फल हारी भोजन कर ग्रहण कर लेते है।

4. नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताओं एवं विशेषाधिकार :— जाति व्यवस्था में उच्च जातियों को कई सामाजिक एवं धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त होते है जबकि निम्न एवं अछुत जातियों को उनसे वंचित रखा जाता है। खासतौर पर दक्षिणी भारत में अछुत जातियों पर अनेक अयोग्यताएं जैसी बातों को मानने के लिए विवस कर दिया जाता है। जैसे - माला-बार के इलाके लोगों को जूते पहनने छाता लगाने एवं गाय का दूध निकालने की मनाही होती थी। पेशवाओं के राज में पूना के में एवं महर एवं मक अछुत जातियों को शाम तीन बजे के बाद 9 बजे तक शहर में प्रवेश की इजाजत नहीं थी। इसका कारण यह था कि उनकी लम्बी परछाई किसी ब्राह्मण पर अगर पड़ जाए तो वह अपवित्र हो जाता था। इसलिए ज्यादातर अछुतों की बस्ती गांव से दूर होती थी। इस प्रकार उच्च जातियों को सामाजिक एवं धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। और अछुतों के इनकी निर्योग्यताओं से

Scanned with CamScanner

संबंधित पीड़ा को सहना पड़ता था।

5. पेशे से संबंधित प्रतिबंधित चुनाव का अभाव :—

प्रायः प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। कई जातियों के नाम से ही उनके व्यवसाय की जानकारी प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक जाति यह चाहती है कि इसके सदस्य निश्चित रूप से जातिगत व्यवसायी ही करे। अन्य जातियों के लोग भी व्यक्तियों को अपने जातिगत व्यवसायी को रोकते हैं। किन्तु कुछ व्यवसायी ऐसे होते हैं जैसे किसी व्यवसायी एवं सेना में नौकरी जिसमें सभी जातियों के व्यक्ति काम करते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता है।

6. विवाह संबंधी प्रतिबंध :— जाति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक जाति अपनी ही जाति अथवा उपजाति में विवाह करती है जाति के बाहर विवाह करने वाले को बहिष्कृत कर दिया जाता है। वेस्टर मार्क ने यही जाति अंतर्विवाह को जाति का सार तत्व माना है। किन्तु इसे अपवाद भी कहा जाता है। जाति अंतर्विवाह के ~~संबंध~~ के बारे में यह कहना अत्यंत आवश्यक है कि इसका उद्देश्य जाति मिश्रण एवं जनजातियों की संख्याओं में होने वाली वृद्धि को रोकना था।

घुर्ये ने जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत एवं ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए सिद्धांतों को स्वीकार किया उनका मानना था कि

Scanned with CamScanner

क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक संपर्क में जाति प्रथा को जन्म दिया ब्राह्मणों ने अपने समूहों को दूसरे समूह के मिश्रण से मुक्त रखने के लिए ऐसे नियम बनाए जिनके द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के संतानों को उनकी परिस्थिति के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया था। जातियों का संबंध वैवाहिक व्यवस्था ~~के नियम~~ में नातेदारी के साथ जुड़ा हुआ होता है। G.S. घुर्ये ने अपनी रचना Caste and Race in India (1932) में प्रकाशित हुई थी। इसमें घुर्ये ने जाति और नातेदारी को भारत के संदर्भ में समझने के लिए एक ओर उन्होंने नातेदारी का तुलनात्मक अध्ययन किया जाति नातेदारी का अध्ययन करते हुए उन्होंने 2 बातों का अधिक ध्यान दिया था।

(i) भारत तथा अन्य स्थानों में नातेदारी तथा जाति की समन्वयनात्मक ऐतिहासिक भूमिका होती है।

(ii) भारत तथा अन्य स्थानों में नातेदारी तथा जाति ~~की समन्वय~~ के पारस्परिक ताने-बाने आपस में जुड़े हुए होते हैं।

समाज का विकास विविध सामाजिक तथा जातीय समूहों की पारस्परिक समानता के आधार पर हुआ है यही ताना-बाना सारे समाज को संचालित करता है। घुर्ये ने जाति व्यवस्था के प्रकार्यात्मक स्वरूप निम्नलिखित बताया है।

Scanned with CamScanner

(i) खण्डनात्मक विभाजन
(ii) संस्तरण
(iii) पवित्रता तथा प्रदूषण
(iv) नागरिक तथा धार्मिक अधिकार
(v) व्यवसाय के चयन में स्वतंत्रता नहीं होती
(vi) वैवाहिक प्रतिबंध

इसके अतिरिक्त घूर्ये ने जाति व्यवस्था में अंतर्विवाही प्रवृत्ति की महत्व की चर्चा की है। जाति संस्तरण की हर इकाई में अंतर्विवाह वैवाहिक प्रणाली प्रचलित है। पहले प्रत्येक जाति ने अपनी उपजातियां प्रचलित थी। जैसे- उद्या के लिए देखा जाए तो वैश्य जाति के लिए देखा जाए तो वैश्य जाति के लिए अग्रवाल महेश्वरी आदि उपजातियां में विभाजित थे।

जातियों का संबंध अंतर्विवाही व्यवस्था में नातेदारी के साथ जुड़ा हुआ होता है। अंतर्विवाही के लिए अंतर्गत बहिर्विवाह की इकाई भी सम्मिलित थी। पहले ब्राह्मणों और बाद में गैर ब्राह्मणों ने यह व्यवस्था कायम की थी एक गोत्र में विवाह करना, रक्त संबंधियों में विवाह करना, इस तरह के नियम बने हुए थे।

जातियों और नातेदारी का संबंध बहुत नजदिकी है। क्योंकि इसमें विशेष प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती है।

(1) बहिर्विवाह का संबंध काल्पनिक नातेदारी या यथार्थ दोनों से संबंधित होता है।

Scanned with CamScanner

(iii) जाति और उपजाति में पारस्परिक संबंध
नातेदारी आधुनिक ही है चूर्वे की मान्यता है कि जाति और नातेदारी के बीच तीन प्रकार के वैवाहिक प्रतिबंध होते है।

(a) अंतरविवाह
(b) बहिरविवाह
(c) अनुलोम प्रतिलोम संबंध

भारतीय तथा युरोपीय समाजों में गोत्र तथा चयन जैसी व्यवस्था थी जो जातियों में पद और परिस्थिति का निर्धारण करती है। पूर्व में यह श्रेणियाँ ऋषियों के आधार पर संयोजित होती थी। चूंकि ऋषि गोत्र और चरण श्रेणियों के स्रोत थे। ऋषि यथार्थ भी होते थे। और काल्पनिक भी। भारत में प्रायः वंश की गणना वस्तु संबंधों के आधार पर की है। और नातेदारी से बाहर गुरु शिष्य का संबंध अत्यंत पूजनीय माना गया है। जातीय और उपजाति शुद्धता एक अशुद्धता पर संयोजित की जाती है। अंतरविवाह और बहिरविवाह के नियम जातियों को एक दूसरे से अलग करते है जबकि यह लोगों के सामाजिक एकता तथा सुदृढ़ता के आधार हिन्दु व्यवस्था एकता के लिए संयोजन की जाती है। भारत में धर्म शास्त्रीय विधियों के आधार पर इन श्रेणियों का निर्माण किया गया थे धर्म शास्त्रीय जीवन के निर्धारक आधार थे।

Scanned with CamScanner

जाति वर्ग और व्यवसाय :—

G.S घुर्ये प्रथम भारतीय समाजशास्त्री है जिन्होंने देश की महत्वपूर्ण समस्याओं पर शोध किया है। जिन्होंने देश की जाति वर्ग और व्यवस्था पर इनका कार्य मौलिक है। "Caste, Class and Occupation" नामक अपनी पुस्तक 1957 में प्रथम बार इन्होंने अपने पुस्तक का प्रकाशन लम्बई में किया। सन् 1921 में जब G.S घुर्ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे तो उस समय — अपने शोध कार्य के लिए जाति, वर्ग और व्यवसायी विषय को चुना था वो कहते है कि जब वे लंदन में थे तो जाति और वर्ग पर शोध करने का विचार किया था। इस विषय के आरंभ में उन्होंने प्रजातीय अध्ययन किया था। इसी तरह उन्होंने आगे चलकर जाति वर्ग और व्यवसाय पर महत्वपूर्ण कार्य किया। इस पुस्तक में बारह अध्याय है जो आज भी छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है।

इस पुस्तक का प्रथम अध्ययन जाति व्यवस्थाओं की विशेषता पर केन्द्रीत है। इससे संबंधित अध्ययन का आरंभ G.S घुर्ये इस बात से करते है कि विदेशी पर्यटकों के लिए भारतीय जाति व्यवस्था हमेशा जिज्ञासा की वस्तु रही है भले ही वे इसके सम्पूर्ण प्रकार्यात्मक पक्ष से परिचित न हो पर वे इस बात से भी अभिज्ञ थे कि हिन्दू समाज समूह और जातियों में विभाजित है। संसार के सभी देशों में जाति व्यवस्था किसी न किसी रूप में देखी जा सकती है इसमें कई तरह की विभिन्नता समाहित होती है

Scanned with CamScanner

Date 19-02-2020
Page
RANKA

अध्ययनों के आधार पर हम किसी जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं दे सकते हैं। तथा जाति कि कोई मान्य परिभाषा नहीं हो सकती है।

G.S घुर्ये भी यह मानते थे कि जाति की परिभाषा करना मुश्किल है। इसलिए वे इसकी विशेषताओं के आधार पर जाति की विशेषता करते हैं। जाति पुर्तगाली भाषा से caste से बना है। जिसका अर्थ 'नस्ल एवं प्रजाति एवं भेद है। प्रोफेसर वाडिया का मानना है कि "जाति शब्द लैटिन भाषा Castus के अधिक निकट है जिसका अर्थ 'विशुद्ध' है। रिजले ने जाति की परिभाषा देते हुए लिखा है कि "जाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन है। जिसका एक सामान्य नाम है जो एक काल्पनिक पूर्वज मानव या देवता से एक समान्य वंश परंपरा का दावा करते हैं। एक ही परंपरागत व्यवसाय को करने के लिए जोर दिया जाता है और इससे संबंधित वे अपना योग्यतानुसार अपना मत व्यक्त करते हैं।

केतकर के अनुसार "जाति एक समूह है जिसकी दो विशेषताएँ है समूह की सदस्यता उन लोगों तक सिमित होती है जो सदस्यों की संतान है और इस प्रकार जन्म से कुछ सभी व्यक्ति इसमें सम्मिलित होते है"।

Scanned with CamScanner

मजुमदार और मदान के अनुसार "जाति एक बंद वर्ग है।" जाति, वर्ग और व्यवसाय पुस्तक का अंतिम और व्यापक अध्याय है। जाति के गतिरूप पर आधारित होती है। जाति व्यवस्था परिवर्तित हिन्दुओं की श्रेणी इस परिवर्तन से अछूता नहीं होती वह अपने आधार शक्ति और बल के को पुनः लागू कर देते हैं। आधार पर अपनी प्राचीन परंपरा जाति परिवर्तन के संबंध में विचारकों के अनुसार जाति को चार वर्णों में विभाजित किया गया है। गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया है किन्तु कुछ विचारक ऐसे थे जो बदलते हुए जाति व्यवस्था को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते थे क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में जाति व्यवस्था को पुराने ढंग से लागू नहीं करना चाहते थे बल्कि वे चाहते थे कि जाति व्यवस्था को इस पौराणिक परंपरा में कुछ न्यायपन आये जिससे रीति-रिवाज और बंधे हुए जाति व्यवस्था में स्वतंत्रता आ सके जिससे लोगों का जीवन पहले की अपेक्षा थोड़ा सरल हो सके।

Scanned with CamScanner

जाति और व्यवसाय :—

जी. एस घुर्ये ने अपनी पुस्तक के आरंभ में कहा है कि बहुत से जातियों की उत्पति विभिन्न प्रकार के कार्यों से हुई है किन्तु इस पुस्तक के इस अध्याय में व्यवसाय और जाति का आरंभ इस वाक्य से करते है कि जाति की उत्पति व्यवसायिक नहीं है। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि उन्नीसवी शताब्दी में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने में उदासीनता थी। वर्ण व्यवस्था में कार्य वर्ण के अनुसार ही करने की अनुमति थी 19वीं शताब्दी के आरंभ में यह धारणा बनी हुई थी कि जातियों की एक बड़ी संख्या का अपना व्यवसाय है जो कि परंपरागत और पैतृक भी है इसलिए दूसरा व्यवसाय की खोज करना कहीं से भी उचित नहीं है।

19वी शताब्दी का जातिय प्रकार्यात्मक ढांचे का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि कौन सा व्यवसाय, पवित्र है या कौन सा अपवित्र है। किन्तु उत्तर मुगल काल में व्यवसाय के महत्व पर ध्यान दिया जाने लगा। किन्तु तभी पैतृक व्यवसाय का महत्व कम नहीं हो सका क्योंकि वास्तव में जाति व्यवस्था का प्रभाव इस कदर व्यक्ति

Scanned with CamScanner

के मानसिक विचार पर हावी था कि वे अपने जाति द्वारा निर्धारित कार्य को ही करने में स्वयं को अपने पुर्वजों से जुड़ा मानते थे। ग्रामीण समाज का कार्य स्तर व्यवसाय बहुत हद तक जनित की क्षमता और प्रकृति पर निर्भर होता था। क्योंकि इनकी धारणा यह थी कि कृषि कार्य उत्तम, व्यापार मध्यम और नौकरी को निकृष्टतम माना गया है।

वास्तव में अंग्रेजों के आने से पूर्व नौकरिया बहुत कम थी और जो भी लोग नौकरी करते थे उनका वेतन बहुत कम था। "मनु ने नौकरी को कुत्ते का जीवन बताया है" इस अध्याय में अंग्रेजी शासनकाल में वकील, अधिकारी और वास्तुशास्त्री के रूप में कार्यों को व्यवसाय के रूप में माना गया था। आज भी "व्यवसायिक डिग्री धारक" कहते हैं

इस अध्याय में धुर्ये इस बात को भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस समय एक ही व्यवसाय के जाति विभिन्न प्रकार के कार्य करते थे। 1954 में किये गये पुनः और बम्बई के एक सर्वेक्षन में बताया कि उस समय नौकरी की स्थिति बेहतर हो गई थी और नौकरी के अवसर बढ़ते जा रहे थे और इस बात का भी प्रयास किया जा रहा था कि

Scanned with CamScanner

व्यक्ति परंपरागत कार्यों को त्यागकर नौकरी पेशा बने। नगरीय समाज में नौकरी व व्यवसाय को अवसर प्राप्त होने लगे। नौकरी और व्यवसाय के गये ढांचे का विकास अंग्रेजी शासन काल में विकसित होना शुरू हो गया था किन्तु जाति और व्यवसाय की इस श्रेणी के विभाजन से कुछ व्यवसायों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त हुआ तो कुछ को निम्न स्थान प्राप्त हुआ।

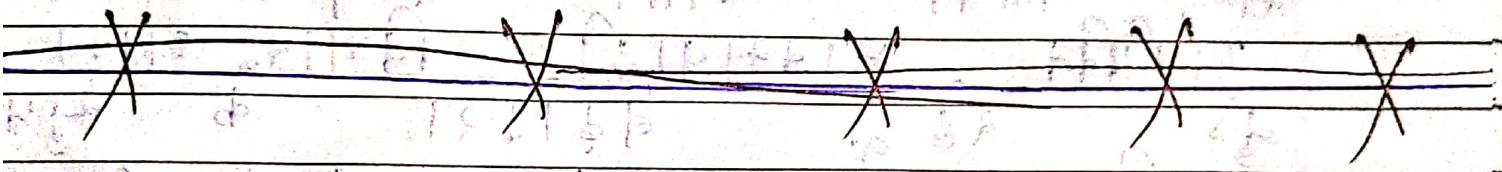

Scanned with CamScanner